

—प्रेस नोट—
जनपद मीरजापुर ।

संख्या:29/2022

दिनांक: 12.07.2022

थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बिरोही में जमीनी विवाद को लेकर हुई युवक की हत्या से सम्बन्धित 07 अभियुक्त गिरफ्तार, निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद —

थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 11.07.2022 को वादी रमेश पुत्र शिवभोला निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर द्वारा एकराय होकर जान मारने की नियत से मारपीट करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गई , जिसके आधार पर थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर पर मु0अ0सं0-120/2022 धारा 147,148,149,307,504 भादवि बनाम कृष्ण कुमार आदि 08 नफर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ हुई। विवेचना से धारा 302, 34 भादवि का अपराध पाये जाने पर बढोत्तरी हुई तथा बरामद असलहा के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल , जनपद मीरजापुर पर मु0अ0सं0-122/2022 धारा 30 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम को अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी। घायल राजेश व चन्द्रशेखर को परिजनों द्वारा इलाज हेतु मण्डलीय चिकित्सालय सदर ले जाया गया जहां से चिकित्सकों द्वारा ट्रामा सेंटर वाराणसी हेतु रेफर कर दिया गया। दिनांक: 11.07.2022 को इलाज के दौरान राजेश पुत्र भोला यादव उम्र करीब- 30 वर्ष की मृत्यु हो गई तथा घायल चन्द्रशेखर उपरोक्त उपचाराधीन है। थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत उक्त अभियोग में सुरागरसी पतारसी, विवेचना एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक: 12.07.2022 को प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल विनीत राय मय टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम देवरी हनुमान जी मंदिर पहाड़ी के पास से नामजद 07 अभियुक्तों 1-कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू 2-ईश्वरी प्रसाद उर्फ गप्पू पुत्रगण राम प्रताप सिंह, 3-शमशेर सिंह उर्फ पप्पू 4-धीरेन्द्र सिंह 5-गुड्डू उर्फ योगेन्द्र सिंह पुत्रगण विष्णु चरण सिंह , 6-सज्जन सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह , 7-पप्पू उर्फ करीम अली पुत्र नियामत अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त SBBL गन को अभियुक्त के घर से बरामद किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

- 1-कृष्ण कुमार उर्फ कल्लू पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-55 वर्ष।
- 2-ईश्वरी प्रसाद उर्फ गप्पू पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-38 वर्ष।
- 3-शमशेर सिंह उर्फ पप्पू पुत्र विष्णु चरण सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-50 वर्ष।
- 4-धीरेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु चरण सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-41 वर्ष।
- 5-गुड्डू उर्फ योगेन्द्र सिंह पुत्र विष्णु चरण सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-43 वर्ष।
- 6-सज्जन सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी बिरोही थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-48 वर्ष।
- 7-पप्पू उर्फ करीम अली पुत्र नियामत अली निवासी महडौरा थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-22 वर्ष।

विवरण बरामदगी — घटना में प्रयुक्त एक अदद SBBL गन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

ग्राम देवरी हनुमान जी मंदिर पहाड़ी के पास से, दिनांक 12.07.2022 को समय 08.40 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- 1-निरी0 विनीत राय प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर।
- 2-व0उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर।
- 3-उ0नि0 दयाशंकर ओझा चौ0प्र0 विन्ध्याचल धाम, थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर।
- 4-उ0नि0 भरतलाल पाण्डेय चौ0प्र0 अष्टभुजा, थाना विन्ध्याचल, जनपद मीरजापुर।
- 5-हे0का0 कर्ण सिंह यादव, हे0का0 अजय सिंह, हे0का0 लक्ष्मण शंकर यादव, हे0का0 सदाशिव राय।
- 6-का0 अरविन्द यादव, का0 नरेन्द्रदेव यादव, का0 रोहित पाल, का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 रामविलास पासवान व म0का0 संध्या भारती।

